

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं०
10/2024

तारीख मजरुआ :
02-04-2024

तारीख पेशी :
22-05-2024

कंचन ठाकुर पुत्री श्री जय राम ठाकुर निवासी गांव व डा० ढलवाण, तहसील ढलवाण, जिला मण्डी, ताहाल पत्नी श्री नरेश ठाकुर, निवासी मकान नं० 86/5, पैलैस कलौनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

कंचन ठाकुर पुत्री श्री जय राम ठाकुर निवासी गांव व डा० ढलवाण, तहसील ढलवाण, जिला मण्डी, ताहाल पत्नी श्री नरेश ठाकुर, निवासी मकान नं० 86/5, पैलैस कलौनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा मूल/असल नाम कंचन ठाकुर है तथा दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र में मेरा नाम कंचन ठाकुर है। जबकी राजस्व कागजात माल में मेरा नाम कंचना देवी पुत्री जय राम लिखा गया जिसे जिसे कंचन ठाकुर राजस्व कागजात माल में सही व दुरुस्त करने के आदेश जारी किये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 22-05-2024 को वह असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 18-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
